



e-ISSN: 2278-8875
p-ISSN: 2320-3765

International Journal of Advanced Research

in Electrical, Electronics and Instrumentation Engineering

Volume 10, Issue 5, May 2021

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INDIA

Impact Factor: 7.122

9940 572 462

6381 907 438

ijareeie@gmail.com

www.ijareeie.com



कृषि के विकास में सहकारी बैंकों का योगदान का मूल्यांकन

DR. RAMESH CHAND MEENA

Assistant Professor, Department of EAFM, BBD Govt. College, Chimanpura, Shahpura, Jaipur, Rajasthan, India

सार

सहकारी बैंक (को-ऑपरेटिव बैंक) वे बैंक हैं जिनका गठन एवं कार्यकलाप सहकारिता के आधार पर होता है। विश्व के अधिकांश भागों में सहकारी बैंक हैं जो लोगों की पूँजी जमा करते हैं तथा लोगों को धन उधार देते हैं।

उद्देश्य

इन बैंकों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिए अधिक साख-सुविधाएं (credit) उपलब्ध कराना है। अतः ये संस्थाएं भी वित्तीय समावेशन में सहायक हैं।

मुख्य बिन्दु

- इनकी स्थापना "राज्य सहकारी समिति अधिनियम" के अनुसार की गई।
- इनका पंजीकरण "रजिस्ट्रार ऑफ को-ऑपरेटिव सोसाइटी" के पास किया जाता है।
- इनका नियमन राज्य सरकार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आंशिक रूप से किया जाता है।
- सामान्यतः इनकी शाखाएं एक राज्य तक सीमित होती हैं।

सहकारी बैंक के लाभ

- इसका पंजीकरण बहुत सरल है। इसे बिना किसी कानूनी औपचारिकता के किया जा सकता है।
- कोई व्यक्ति किसी भी समय सदस्य बन सकता है और अपने शेयर को वापस करके किसी भी समय सदस्यता छोड़ सकता है।
- किसी सदस्य की मृत्यु, दिवाला, पागलपन या स्थायी अक्षमता से इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
- यहाँ पैसा कम ब्याज दर पर मिलता है, जिससे SHG आसानी से चलाया जा सके।

परिचय

भारत में सहकारी बैंकों के प्रकार

- (1) प्राथमिक सहकारी साख समितियां
- (2) केन्द्रीय अथवा जिला सहकारी बैंक
- (3) राज्य सहकारी बैंक
- (4) भूमि विकास बैंक[1,2,3]

प्राथमिक सहकारी साख समितियां

प्राथमिक सहकारी साख समितियां निम्नलिखित दो प्रकार की पाई जाती हैं-

- (१) प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियां
 - (२) प्राथमिक गैर-कृषि सहकारी साख समितियां
- प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियां



इनकी स्थापना गांव व कस्बों में हुई है। यह समितियां किसानों को साख उपलब्ध कराने का कार्य करती हैं।

प्राथमिक गैर-कृषि सहकारी साख समितियां

इनकी स्थापना कोई नगर या कस्बा होता है इनमें सदस्य कारीगर मजदूर या दुकानदार होते हैं ऐसी समितियां शहरी क्षेत्रों में शुल्क डेलिस के सिद्धांत पर बनाई जाती हैं।

केन्द्रीय अथवा जिला सहकारी बैंक

केन्द्रीय सहकारी बैंक दो प्रकार के होते हैं-

(१) वे बैंक जिनमें केवल प्राथमिक समितियों को ही सदस्य बनाया जाता है।

(२) वे बैंक जिनमें समितियों के अलावा अन्य व्यक्ति को भी सदस्य बन सकते हैं।

कार्यक्षेत्र - केन्द्रीय बैंक का कार्यक्षेत्र संबंधित जिला होता है। जिले में स्थित समस्त सहकारी समितियां अनिवार्य रूप से इसकी सदस्यता ग्रहण करती हैं इस प्रकार यह जिले की समस्त प्राथमिक साख समितियों को नियंत्रण करता है।[4,5,6]

राज्य सहकारी बैंक

राज्य सहकारी बैंक सहकारी साख संगठन की सर्वोच्च संस्था है। जिस प्रकार गांव गांव एवं स्थान स्थान पर फैली हुई साख समितियों के नियन्त्रण जिले पर स्थित केन्द्रीय बैंक करता है, उसी प्रकार राज्य भर में फैले हुए समस्त केन्द्रीय बैंकों को राज्य सहकारी बैंक संगठित करता है। इस रूप में यह बैंक समस्त राज्य भर में फैली हुई कृषि सहकारी संस्थाओं की शीर्ष संस्था है। बेहतर साख सुविधाएँ दी जाती हैं

भूमि विकास बैंक

भूमि विकास बैंक वह बैंक हैं जो कृषकों को उनकी भूमि बंधक रखकर कृषि विकास कार्यक्रमों के लिए दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती हैं

भारत की प्रमुख सहकारी बैंकिंग संस्थाएँ

सहकारी बैंक	स्थापना वर्ष
सारस्वत सहकारी बैंक लि.	1918
कॉसमोस सहकारी बैंक लि.	1906
शामराव विठल सहकारी बैंक लि.	1906
अभ्युदय सहकारी बैंक लि.	1964
भारत सहकारी बैंक (मुम्बई) लि.	1978
ठाणे जनता सहकारी बैंक	1972



पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक	1984
जनता सहकारी बैंक	1949
कालूपुर सहकारी बैंक	1970
NKGSB सहकारी बैंक	1917

विश्व की प्रमुख सहकारी बैंकिंग संस्थाएँ

सहकारी बैंकिंग संस्थाएँ

नाम	देश	सदस्य (2010) ⁽¹⁾	पूँजी (2010 US\$ millions) ⁽¹⁾	प्रकार	वैकल्पिक नाम	टिप्पणी
Coop Bank Pertama (पहले इसका नाम 'Bank Persatuan' था।)	मलेशिया	300,000 +	RM3.4 Billion	Islamic cooperative bank	Koperasi Co-opbank Pertama Malaysia Berhad	The first national cooperative bank in Malaysia established in 1950
बैंक रक्यात	मलेशिया	907,918		Islamic cooperative bank	Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad	Second national cooperative bank in Malaysia founded in 1954
Crédit Agricole	फ्रांस			Bank (Public S.A.)	Caisse Nationale de Crédit Agricole	local banks of the group majority owned by individuals; local banks jointly-owned Crédit Agricole S.A. indirectly, via regional bank of the group
Islami Co-operative Bank Ltd. (Instead of Sandwip Central Co-Operative)	Bangladesh			Central Co-Operative Bank	ICBL	First Islami & largest Co-operative Bank in Bangladesh based on Islami Sariyah. Signed: Registration No. 57/c, Dated: 3rd Aug 1922. Head office: Zakir Hossain Road, Khulshi, Chittagong-4209, Bangladesh.



सहकारी बैंकिंग संस्थाएँ						
नाम	देश	सदस्य (2010) ^[1]	पूँजी (2010 US\$ millions) ^[1]	प्रकार	वैकल्पिक नाम	टिप्पणी
e Bank Ltd.)						
Crelan	Belgium	288,000 ^l _{2]}		Bank	formerly Landbouwkrediet (agricultural)	Independent from Crédit Agricole since 2015 ^[2]
DZ Bank	Germany	17,700,000 ^[3]		Bank	Deutsche Zentralgenossenschaftbank German Central Cooperative Bank	Owned by three quarters of all Volksbank and Raiffeisen bank (cooperative banks) in Germany and Austria
Caisse d'Epargne	France			Bank	literally “savings bank”	Credit union federation
Rabobank	Netherlands	1,500,000+		Bank		Credit union federation
Nationwide Building Society	UK	15,500,000 ^[4]		Building society		World's largest building society
Bangladesh Samabaya Bank LTD.	Bangladesh	^[2]		Bank		The largest Co-Operative Bank in Bangladesh with 478 Registered Member Society. ^[2]
Groupe Banque Populaire	France	3,400,000		Bank		
Desjardins Group	Canada	5,795,277 ^[5]		Credit union federation		Leading bank in Quebec
Raiffeisen Bank International	Austria			Bank (Public aktiengesellschaft)	RI	owned by regional Raiffeisen Bank of Austrian states
Nonghyup	South Korea			Banking division of agricultural cooperative	National Agricultural Cooperative Federation (NACF)	Approx US\$230 billion in loans
ICCREA Banca	Italy			Bank (società per azioni)	Istituto Centrale delle Casse Rurali ed Artigiane	owned by credit unions of Italy
Cassa Centrale Banca –	Italy			Bank (società per azioni)	CCB	owned by credit union of Northern Italy



सहकारी बैंकिंग संस्थाएँ						
नाम	देश	सदस्य (2010) ^[1]	पूँजी (2010 US\$ millions) ^[1]	प्रकार	वैकल्पिक नाम	टिप्पणी
Credito Cooperativo del Nord Est						
Raiffeisen Landesbank Südtirol	Italy			Bank (società per azioni)	Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige	owned by credit union of South Tyrol region, Italy
Raiffeisen (Switzerland)	Switzerland					Credit union federation
Banco Cooperativo Español and Caja Rural	Spain					
OP Financial Group	Finland	1,750,000 ^[6]				31% share of Finnish credit market, and 32% share of savings and deposit market ^[7]
POP Pankki	Finland					Credit union federation
S-Bank	Finland	2,900,000 ^[8]		Cooperative supermarket bank	S-Pankki (Finnish), S-Banken (Swedish)	Belongs to the S Group retail cooperative
Bank Australia	Australia	125,000 +	\$3b	bank		Australia's first customer owned bank
Navy Federal Credit Union	US	3,004,352	33012	Credit union		
Shared Interest	UK		^[9]	Cooperative lending society		Finance for fair trade
GLS Bank	Germany					
The Cooperative Bank	New Zealand	120,000 +		Bank		Customer owned bank
Banco Credicoop	Argentina					



विचार-विमर्श

बीते महीने भारतीय रिज़र्व बैंक ने पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक (Punjab and Maharashtra Cooperative Bank-PMC Bank) पर कार्यवाही करते हुए उसे अगले 6 महीनों तक किसी भी प्रकार का कार्य न करने का आदेश दिया था। साथ ही RBI ने PMC बैंक के ग्राहकों के लिये पैसे निकालने की सीमा भी निर्धारित कर दी थी। उल्लेखनीय है कि PMC बैंक देश में सबसे बड़े शहरी सहकारी बैंकों में से एक है, जिसकी कुल जमा 11,617 करोड़ रुपए से भी अधिक है। देश का इतना बड़ा सहकारी बैंक जिस प्रकार संकट का सामना कर रहा है वह देश की सहकारी बैंकिंग प्रणाली हेतु चिंता का विषय है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सहकारी बैंकों ने देश के गाँवों और कस्बों में आम लोगों को बैंकिंग से जोड़कर न केवल बैंकिंग प्रणाली के विकास में योगदान दिया है बल्कि देश की अर्थव्यवस्था के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। [7,8,9]

सहकारी बैंक का आशय उन छोटे वित्तीय संस्थानों से है जो शहरी और गैर-शहरी दोनों क्षेत्रों में छोटे व्यवसायों को ऋण की सुविधा प्रदान करते हैं।

सहकारी बैंक आमतौर पर अपने सदस्यों को कई प्रकार की बैंकिंग और वित्तीय सेवाएँ जैसे- ऋण देना, पैसे जमा करना और बैंक खाता आदि प्रदान करते हैं।

सहकारी बैंक उनके संगठन, उद्देश्यों, मूल्यों और शासन के आधार पर वाणिज्यिक बैंकों से भिन्न होते हैं।

उल्लेखनीय है कि सहकारी बैंक का प्राथमिक लक्ष्य अधिक-से-अधिक लाभ कमाना नहीं होता, बल्कि अपने सदस्यों को सर्वोत्तम उत्पाद और सेवाएँ उपलब्ध कराना होता है।

सहकारी बैंकों का स्वामित्व और नियंत्रण सदस्यों द्वारा ही किया जाता है, जो लोकतांत्रिक रूप से निदेशक मंडल का चुनाव करते हैं।

ये भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा विनियमित किये जाते हैं एवं बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के साथ-साथ बैंकिंग कानून अधिनियम, 1965 के तहत आते हैं।

सहकारी बैंक सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत किये जाते हैं। [10,11,12]

सहकारी बैंक और वाणिज्यिक बैंक में अंतर

वाणिज्यिक बैंक संयुक्त स्टॉक (Joint-Stock) बैंक हैं, जबकि सहकारी बैंक सहकारी संस्थाएँ होती हैं।

वाणिज्यिक बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के नियंत्रण के अधीन हैं। सहकारी बैंक सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित नियमों के अधीन हैं।

सहकारी बैंकों में वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में कई तरह की बैंकिंग सेवाएँ देने की कम क्षमता होती है।

भारत में वाणिज्यिक बैंकों का दायरा सहकारी बैंकों की अपेक्षा अधिक विस्तृत है।

सहकारी बैंकों की ब्याज दर वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में अधिक रहती है।

सहकारी बैंकों का इतिहास

भारत में सहकारी आंदोलन की शुरुआत किसानों, कारीगरों और समाज के अन्य वर्ग के लोगों के विकास में मदद करने हेतु बचत को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से की गई थी।

भारतीय सहकारी बैंकिंग का इतिहास वर्ष 1904 में सहकारी समिति अधिनियम के पारित होने के साथ शुरू हुआ। इस अधिनियम का उद्देश्य सहकारी ऋण समितियों की स्थापना करना था।

स्वतंत्रता के बाद पहले 3 वर्षों के दौरान यानी वर्ष 1949 तक सहकारी बैंकिंग की दृष्टि से कुछ भी महत्वपूर्ण कार्य संभव नहीं हो पाया।

हालाँकि तब तक तात्कालिक भारतीय नेता देश की जड़ों को मज़बूत करने के लिये सहकारी बैंकों की भूमिका को पहचान चुके थे एवं इसी कारण शुरुआती पंचवर्षीय योजनाओं में देश के सहकारी ढाँचे को मज़बूत करने हेतु अलग-अलग प्रावधान किये गए।



उल्लेखनीय है कि शुरुआती पंचवर्षीय योजनाओं में सहकारी बैंकिंग से संबंधित प्रावधान होने के बावजूद इसका अत्यधिक विकास संभव नहीं हो पाया, जिसके चलते इस ओर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता महसूस की गई।

छठी और सातवीं पंचवर्षीय योजना ने देश के सहकारी ढाँचे के विस्तार और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

सहकारी बैंकों का उद्देश्य

ग्रामीण वित्तपोषण और सूक्ष्म वित्तपोषण हेतु।

आम नागरिकों को बिचौलियों और साहूकारों के शोषण से मुक्त करना।

देश के किसानों और गरीबों की सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये उन्हें सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध कराना।

ग्रामीण क्षेत्रों में ज़रूरतमंद लोगों और किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।

ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लघु उद्योग और स्व-रोज़गार गतिविधियों में संलग्न लोगों को व्यक्तिगत वित्तीय सेवाएँ प्रदान करना।[13,14]

सहकारी बैंकों का महत्त्व

सहकारी बैंकों ने गाँवों और कस्बों में आम लोगों को बैंकिंग से जोड़कर देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।

देश के सहकारी ऋण ढाँचे का मुख्य उद्देश्य आम जनता को पारंपरिक ऋण स्रोतों का एक बेहतर विकल्प प्रदान करना है और सहकारी बैंकों ने इस उद्देश्य की प्राप्ति में बेहतर प्रदर्शन किया है। सहकारी बैंक ग्रामीण ऋण और कम पढ़ी-लिखी आबादी को परंपरागत उधारदाताओं के चंगुल से बचाते हैं।

ध्यातव्य है कि देश में परंपरागत उधारदाताओं ने दशकों से अपना वर्चस्व कायम किया हुआ है और ऋण पर ब्याज की ऊँची दर लगाकर वे आज भी गरीब लोगों का शोषण कर रहे हैं।

सहकारी बैंक अपने ग्राहकों को अपेक्षाकृत काफी सस्ती ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य लाभ कमाना न होकर अपने सदस्यों को अच्छी सेवाएँ देना होता है।

सहकारी बैंकों ने कृषकों के बीच बचत की आदतें विकसित कर बचत और निवेश को भी प्रोत्साहित किया है।

सहकारी बैंक और अर्थव्यवस्था

देश के नागरिकों की आर्थिक वृद्धि में ही देश की वृद्धि छिपी होती है और दुनिया भर में जितने भी सहकारी ढाँचे कार्य कर रहे हैं उनके प्रमुख सिद्धांतों में सदस्यों का आर्थिक विकास पहले स्थान पर है। भारत में भी सहकारी बैंक कई लोगों के लिये लाइफलाइन (Lifeline) के रूप में कार्य कर रहे हैं।

आज देश भर में सहकारी बैंक, वाणिज्यिक बैंकों के साथ काम कर रहे हैं और कृषि एवं कृषि-आधारित कार्यों में लगे लोगों के लिये आवश्यकता-आधारित वित्त प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

हालाँकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि देश के सहकारी बैंकों को बदलते समय के साथ आवश्यकतानुसार बड़े बदलावों की आवश्यकता है।

सहकारी बैंकों के समक्ष मौजूद चुनौतियाँ

कुछ समितियों की रिपोर्ट दर्शाती है कि सहकारी बैंकिंग अपने लंबे इतिहास के बावजूद देश में किसानों का विश्वास जीतने में असफल रही है और यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतर किसानों द्वारा लिये जाने वाले ऋण का कुछ ही हिस्सा सहकारी बैंकों से लिया जाता है।



अब तक छोटे किसानों की ज़रूरतों को पूरा करने में असफल रहा है।

सभी स्तरों पर अतिदेय (Overdues) एक बड़ी समस्या है।

आँकड़े दर्शाते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारिता की सदस्यता मात्र 45 प्रतिशत ही है, जिसका अर्थ यह हुआ कि ग्रामीण क्षेत्र के 55 प्रतिशत लोग अब तक सहकारिता से जुड़ ही नहीं पाए हैं। वर्ष 1972 में गठित बैंकिंग आयोग ने इसके लिये निम्नलिखित कारणों को ज़िम्मेदार बताया था:

ऋण हेतु निश्चित सुरक्षा (Security) प्रदान करने में लोगों की अक्षमता।

भूमि रिकॉर्ड का कुप्रबंधन।

निर्धारित क्रेडिट सीमा की अपर्याप्तता।

ऋण चुकाने में सदस्य की अयोग्यता।[15,16]

कई अध्ययनों में सामने आया है कि देश के कुछ सहकारी बैंक निष्क्रिय हो गए हैं और कुछ तो सिर्फ कागज़ों पर ही हैं।

अधिकतर सहकारी बैंक पेशेवर प्रबंधन की कमी का भी सामना कर रहे हैं।

एक अन्य महत्वपूर्ण समस्या सहकारी बैंकों पर नियंत्रण के द्वंद्व से उत्पन्न होती है, क्योंकि इनका नियमन और नियंत्रण तो RBI द्वारा किया जाता है परंतु इसका प्रशासन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

सहकारी बैंकिंग प्रणाली में कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कमी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जिससे जल्द-से-जल्द निपटना आवश्यक है।

सहकारी बैंकिंग प्रणाली में वॉचडॉग यानी ऑडिटर को और अधिक जवाबदेह बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहाँ ऑडिटर और जाँच संस्थानों की मौजूदगी के बावजूद भी लोगों ने घोटाले किये।

जैसे ही कोई बड़ा बैंकिंग घोटाला सामने आता है, उस बैंक के जमाकर्ताओं के समक्ष समस्या उत्पन्न हो जाती है और उन्हें अपने ही पैसे को निकालने के लिये लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ता है। वर्ष 2001 में हुआ माधवपुरा मर्सैन्टाइल कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में बैंक के लगभग 45000 जमाकर्ताओं को अपने पैसे निकालने के लिये 1 साल से भी अधिक समय तक इंतज़ार करना पड़ा था। अतः आवश्यक है कि इस समस्या को जल्द-से-जल्द संबोधित किया जाए ताकि बैंक ग्राहकों को परेशानी का सामना न करना पड़े।

विशेषज्ञों का मानना है कि पूर्व डिप्टी गवर्नर आर. गांधी की अध्यक्षता में गठित शहरी सहकारी बैंकों पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति के सुझावों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिये। समिति की रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशें हैं:

सहकारी बैंकों पर RBI को अधिक शक्तियाँ प्राप्त होनी चाहिये।

बैंकों को बंद करने और उन्हें तरलता प्रदान करने जैसे निर्णय लेने हेतु RBI को सशक्त बनाने की आवश्यकता है।

यदि शहरी सहकारी बैंक स्वेच्छा से छोटे वित्त बैंकों में बदलना चाहते हैं और साथ ही वे केंद्रीय बैंक के सभी मानदंडों को भी पूरा करते हैं तो उन्हें इसकी अनुमति दी जानी चाहिये।

देश में सहकारी बैंकों की आवश्यकता को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से हम देश में बैंकिंग प्रणाली को जन-जन तक पहुँचा पाए हैं, परंतु सहकारी बैंकों संबंधी घोटालों को देखते हुए यह भी आवश्यक है कि देश का सहकारी बैंकिंग ढाँचा स्वयं में कुछ बुनियादी परिवर्तन करे। नियंत्रण के द्वंद्व की समस्या सहकारी बैंकों के समक्ष मौजूद सबसे बड़ी समस्या है, जिससे निपटने के लिये आवश्यक है कि RBI और राज्य सरकार एक ही पटल पर आकर समन्वित रूप से कार्य करें ताकि सहकारी बैंकों को देश के विकास में योगदान हेतु तैयार किया जा सके।[17,18]

परिणाम

सामान्य तौर पर विपणन शब्द का तात्पर्य उन सभी विपणन कार्यों एवं सेवाओं के करने से है, जिनके द्वारा वस्तुएँ उत्पादक से अंतिम उपभोक्ता तक पहुँचती हैं, इसके अंतर्गत विपणन की सभी सहयोगी प्रक्रियाएँ एकत्रीकरण, पैकेजिंग, परिवहन, संग्रहण, श्रेणी चयन एवं मानकीकरण, वित्त जोखिम प्रबंध, विज्ञापन, आदि सम्मिलित होती हैं, उत्पादन को उपभोग से जोड़ने वाली श्रृंखला की समस्त कड़ियाँ विपणन में सम्मिलित होती हैं।



प्रो. थामसन के अनुसार:-

कृषि विपणन के अध्ययन में वे सभी कार्य एवं कच्चा माल एवं संस्थाएं सम्मिलित होती हैं जिनके द्वारा कृषकों के फार्म पर उत्पादित खाद्यान्न, कच्चा माल एवं उनसे निर्मित माल का फार्म से उपभोक्ताओं तक संचालन होता है

प्रो. अबोट के अनुसार:-

कृषि विपणन से तात्पर्य उन सभी कार्यों से होता है, जिनके द्वारा खाद्य वस्तुएँ एवं कच्चा माल फार्म से उपभोक्ता तक पहुंचता है।

रीवा जिले में भी कृषि विकास सम्बन्धी इन योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ यहाँ की जर्जर अर्थव्यवस्था को सुधारने का प्रयास तो किया गया, और यहाँ कि वसुन्धरा को सुजलाम सुफलाम की सार्थक परिधि के लाने के लिए सिंचाई की अनेक योजनाओं के साथ तलाबों जैसी सिंचाई परियोजना का क्रियान्वयन हुआ। फलतः के क्षेत्र में भू-भाग भी समुन्नति की ओर अग्रसित हुआ।

कृषि के उन्नत के साथ कृषि विपणन व्यवस्था का उन्नत होना आवश्यक है, क्योंकि यह अनुभव किया जाने लगा है कि कृषि उत्पादों के विपणन का उतना ही महत्व है जितना स्वतः उत्पादन का वस्तुतः विपणन की क्रिया का अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि इसके द्वारा उपभोग और उत्पादन में सन्तुलन ही नहीं वरन् अधिक विकास का स्वरूप भी निर्धारित होता है।

कृषि विपणन की दशा का समीक्षात्मक मूल्यांकन (रीवा जिले के विशेष संदर्भ में) विषय पर अभी तक शोध कार्य नहीं किया गया है। इस विषय कि सम्बन्धित बघेलखण्ड में कृषि विपणन पर डा० ई. जकारिया के निर्देशन में डी.एस. तिवारी द्वारा शोध कार्य ‘‘बघे लखण्ड कृषि विपणन’’ पर किया गया है, तथा डा० श्रीमती दीपा श्रीवास्तव के निर्देशन में आर.पी. तिवारी द्वारा ‘‘उदारीकरण के पश्चात् कृषि विपणन की दशा का आलोचनात्मक मूल्यांकन’’ (रीवा जिले के विशेष संदर्भ में) विषय पर भी किया गया है।

चूँकि यह शोध कार्य मेरे शोध क्षेत्र सीमा के बाहर का तथा एक दशक पुराना हो चुका है, आज विपणन की समस्याएँ आवश्यकता एँ जहाँ की तहाँ बनी हुई है। अतः इस विषय पर नए सिरे से शोध कार्य की आवश्यकता को देखते हुए मैंने रीवा जिले में कृषि विपणन की दशा का चुनाव किया है, जिसमें कृषि क्षेत्र कृषि विपणन के विकास में बाधाएँ व उदासीनता पर नवीन शोध एवं सुझाव दिया जा सकेगा।

बघेलखण्ड में कृषि विपणन साहित्य पर सन् 1988 में तथा उदारीकरण के पश्चात् कृषि विपणन की दशा का आलोचनात्मक मूल्यांकन (रीवा जिले के विशेष संदर्भ में) विषय पर 2010 में शोध कार्य किया गया है। पूर्व में इस विषय से सम्बन्धित कृषि विकास, कृषि विपणन, कृषि के प्रकार, कृषि से प्राप्त होने वाली आय, सिंचाई, कृषि औजार यंत्र आदि तथ्यों पर प्रकाश डाला गया है। शोध कार्य करते हुए कृषि विपणन का स्वरूप परिवर्तन कृषि व्यापार एवं व्यवसाय से आय बढ़ाने के लिए सुझाव दिया गया है। कृषि विपणन के अन्तर्गत भण्डारण, विनिमय, क्रय-विक्रय के साथ-साथ उपभोग उत्पादन क्रियाओं को प्राथमिकता प्रदान की गई है। कृषि के सम्बन्धित अनेक क्रियाएँ संचालित होती हैं। शोधग्रंथ में कृषि उत्पादक तथा अन्तिम उपभोक्ता दोनों कड़ियों को जोड़ने का प्रयास किया गया है। परन्तु समीक्षा के बारे में कोई स्थान नहीं दिया गया है।

कृषि विपणन पद्धतियाँ तथा इसमें परिवर्तन प्रदेश के अन्य जिले में रीवा जिले के कृषि विपणन का तुलनात्मक अध्ययन पर शोध कार्य कर कृषि भण्डारण, कृषि विपणन, कृषि परिवहन, कृषि नीति आदि सुविधायें प्रदान किये जाने के साथ ही कृषि विपणन व्यवस्था को विकसित किया जाएगा, इससे सम्बन्धित सुझावों को कृषि विपणन के पिछड़ेपन को दूर करना, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि, कृषि विपणन तकनीक में सुधार कृषि उपज में वृद्धि एवं संग्रहण किये जाने का प्रयास करने के साथ-साथ कृषि विपणन के परम्परागत पद्धतियों के स्थान पर कृषि विपणन पद्धतियों में वर्तमान तकनीक उपलब्ध कराए जाने हेतु महत्वपूर्ण सुझाव दिए जायेगे, कृषि विपणन में परिवहन एवं यातायात का महत्वपूर्ण स्थान होता है।

रीवा जिले को प्रदेश एवं देश के कृषि विपणन बाजार से जोड़ने हेतु आवश्यक सुझाव के साथ-

साथ कृषि मूल्यों से सम्बन्धित महत्वपूर्ण नीति निर्धारित की जायेगी। कृषि विपणन भी उपर्युक्त महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ-

साथ कृषि उत्पादन का परिसंस्करण, कृषि परिसंस्करण हेतु प्रमुख नीतियो यथा ‘कृषि’ उत्पाद को सुखाना, विपणन के लिए उप



लब्ध कराना एवं वित्तीय सुविधाएँ उपलब्ध कराए जाने का प्रयास किया जाएगा। शोध क्षेत्र के कृषि विपणन की अपार सम्भावना एँ होते हुए भी यहाँ की कृषि विपणन भी व्यवस्था ठीक नहीं है। [16,17,18]

पूर्व शोध की समीक्षा:-

काँनराय एट आल (2001) भारत में ग्रामीण कृषक परिवारों के पास आय के साधन के पशु उपलब्ध है। राष्ट्रीय स्तर पर पशुधन की आबादी बढ़ी है हालांकि एक क्षेत्रीय पैमाने और अर्द्धशुष्क क्षेत्रों में विशेष रूप से स्थिति बहुत अलग और अधिक जटिल है, उदाहरण के लिए ग्रामीण क्षेत्र के भीतर पशुधन बढ़ी जाती है तथा शहरी क्षेत्रों में पशुधन की आबादी कम होती है। जिससे ग्रामीण किसानों की स्थिति सुधर रही है।

ब्रिजेन्द्र पाल सिंह (2000) भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि है। इसके विकास से अर्थव्यवस्था में दृढ़ता आती है। राष्ट्रीय आय में इस का योगदान 34 प्रतिशत के आसपास है। गत वर्षों में खाद्यान तथा व्यावसायिक फसलों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। कृषि उत्पादन को प्रभावित करने वाले तत्वों में प्राकृतिक और आर्थिक दोनों महत्वपूर्ण हैं। विगत दो-तीन दशकों में भारत में द्वितीयक क्षेत्र एवं तृतीयक क्षेत्र को तीव्र गति से विस्तार हुआ है प्रभावी देश की कार्यशील जनसंख्या का 52 प्रतिशत प्राथमिक क्षेत्र पर आश्रित है। देश में कृषि 115.5 मिलियन कृषक परिवारों की आजीविका का माध्यम है। यहाँ तक कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद का लगभग 15 प्रतिशत भाग कृषि व उसकी सहायक क्रियाओं से प्राप्त होता है। भारत में अनेक महत्वपूर्ण उद्योग प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर देश की 1.21 अरब से अधिक जनसंख्या के खाद्यान व खाद्य पदार्थों की आपूर्ति कृषि क्षेत्र से ही की जाती है। करोड़ों पशुओं को प्रतिदिन चारा कृषि क्षेत्र से ही प्राप्त होता है।

डाॅ. आर. के. भारतीय (2006) भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर लघु तथा सीमांत कृषकों खेतिहर मजदूरों तथा अन्य श्रमिकों, शिल्पियों, व्यावसायिक एवं सेवा करने वाले परिवारों का ही बाहुल्य है। परन्तु आज भी इनमें से अधिकांश परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि भारत का समाजिक एवं आर्थिक विकास ग्रामीण क्षेत्रों के बुनियादी विकास पर ही आधारित है। ग्रामीण विकास की अनेकोनेक समस्याएँ जिनमें प्रमुख रूप से आर्थिक अधोसंरचना, कृषि, लघु एवं कुटीर उद्योग व समन्वित विकास की समस्याएँ हैं।

शोध प्रविधि:-

रीवा जिले में स्थित मण्डियों में से निदर्शन विधि का अनुप्रयोग करते हुए जिले से सभी मण्डियों का अध्ययन कर कुछ चिन्हित मण्डियों को प्रतिक अध्ययन के लिए चुना जाएगा। मण्डियों के चयन में उनकी स्थिति कार्यक्षेत्र आदि का ध्यान रखते हुए जिले में सभी तहसीलों में से एक-एक विनियमित मण्डि तथा जिले में एक प्राथमिक स्तर में गांव में स्थित विनियमित मण्डि का चयन कर अध्ययन किया जावेगा।

मण्डि सम्बन्धी तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने हेतु प्रश्नावली बनाकर मण्डि समिति के पदाधिकारियों एवं मण्डि सचिवों से सम्पर्क अभियान द्वारा विषय से सम्बन्धित जानकारी एकत्रित कर उपक्रम बनाया जाएगा। कृषि सम्बन्धी उत्तर प्राप्त करने के लिए स्तरवार निदर्शन विधि का प्रयोग किया जावेगा। अन्त में सांख्यिकी विश्लेषण के बाद शोधकर्ता द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत कर जाएगा इस सम्बन्ध में एकत्रित किए गये प्राथमिक द्वितीयक एवं गौर आंकड़े हेतु किया गया है।

कृषि विपणन तकनीकी में सुधार, कृषि उत्पादन में वृद्धि, मध्यस्थों की समाप्ति, कृषि विनिमय हेतु वित्तीय सुविधाएँ, कृषि उत्पाद मूल्य में वृद्धि तथा कृषि विपणन का व्यावसायिक कार्य, व्यावसायिक अनुभव, पूँजी निवेश, छोटे कृषि व्यापारियों को संरक्षण कृषि के लिए वित्तीय सुविधाएँ, व्यावसायिक प्रशिक्षण, यातायात का विकास, भण्डारण प्रक्रिया में सुधार, व्यावसायिक स्थिति का मूल्यांकन, मूल्य में स्थिरता जैसे अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। कृषि विपणन में जमाखोरी की समाप्ति, कृषि क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र मानने के साथ-

साथ गांवों में कृषि उत्पाद के विक्रय हेतु आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करने का प्रयास होगा। कृषि विपणन क्षेत्र में सहाकारी समितियों के विकास हेतु कृषि विपणन क्षेत्र में सहाकारी समितियों के विकास हेतु सरकारी एजेन्सी द्वारा कम मात्रा का पूर्व निर्धारण उत्पादक व व्यापारियों से कृषि आय में वृद्धि जैसे उपायों को अपनाने से कृषि विपणन तथा कृषि उपज में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। कृषि उपकरणों वित्तीय सुविधाओं में वृद्धि के साथ ही अन्य आवश्यक मूलभूत सुविधाओं में विकास हेतु उपाय किये जायेंगे। सहाकारी विपणन व्यवस्था को प्रोत्साहन दिया जाएगा उत्पादको को उचित मूल्य दिलाए जाने के साथ ही पूँजीवादी बाजार को रोकने



का प्रयास किए जाएंगे, साथ ही कृषि विपणन व्यवसाय का विस्तार किया जाएगा, विस्तार के साथ ही देश वे अन्य विकसित राज्यों की कृषि विपणन के समान किया गया है।

- 5 कृषकों एवं सहकारी बैंकों की आर्थिक दशाओं का अध्ययन कर उनका जीवन स्तर ऊपर उठाने हेतु आवश्यक सुझाव प्रस्तुत करना।
- 5 सहकारी बैंकों के योगदान द्वारा ग्रामीण कृषि प्रक्षेत्र की समस्याओं को दूर करने का समन्वित प्रयास भी है? इसके अन्तर्गत न केवल लघु कृषकों की पहचान की जा सकेगी वरन् उन्नयन हेतु आवश्यक साधन/सुझाव उपलब्ध कराना।
- 5 जिले में संचालित सहकारी बैंकों के विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित कृषकों के आर्थिक विकास की दर प्राप्त कर उसकी समीक्षा करना।[17,18,19]
- 5 संस्थागत बैंकों की कार्यप्रणाली एवं ब्यूह रचना का अध्ययन।
- 5 केन्द्रीय सहकारिता बैंक के द्वारा दी जाने वाली सहायता एवं सहयोग के फलस्वरूप हितग्राहियों के रोजगार प्रभाव का अध्ययन करना।
- 5 संस्थागत बैंकों द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों का अध्ययन करना।
- 5 कृषकों की आर्थिक दशा के सफलता हेतु समुचित साधनों एवं उपायों को सुझाना जिससे भविष्य में इन योजनाओं को और प्रभावशाली बनाया जा सके।

‘सितीर्षुः दुस्तरम मोहा दुहुपेनाडस्मि सागरम्’ ज्ञान की छोटी पनसुइया नौका से शोध के महान् सागर को पार करने की इच्छा स्वरूप मेरे प्रयास से यह शोधसामग्री निश्चय ही अध्ययन की विविध सीमाओं में संकलित है। आर्थिक विकास एक ऐसी विषयवस्तु है जिसके प्रत्येक अंश पर शोध ग्रन्थ की रचना की जा सकती है, ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास का स्पर्श कर आरंभिक अध्ययनकर्ता विविध रूपों में वर्णन करते हैं। फलतः आर्थिक विकास के किसी एक क्षेत्र को न लेकर विभिन्न स्वरूप को लेकर अध्ययन किया गया। व्यक्तिशः अध्ययनकर्ता होने के कारण अर्थ तथा समयावधि की अरूपतावश आर्थिक विकास के विभिन्न क्षेत्रों का विशद विश्लेषण सम्भव नहीं हो सका है फिर भी विषय वस्तु को पर्याप्त रूप-में स्पष्ट किया गया है।

कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार है जिसके समुचित विकास के बिना किसी भी प्रकार की आम जीवन से जुड़ी विकास की गति विधियों की परिकल्पना नहीं की जा सकती। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होने वाली जानकारीयों के अनुसार देश का सर्वाधिक वर्ग कृषि से संबंधित है देश की कृषि व्यवस्था और कृषि नीति ऐसी है कि कृषि अभी भी पुरातन नीतियों पर आधारित है शासन और प्रशासन स्तर पर दीर्घकालिक सहकारी बैंकिंग नीतियाँ निर्मित होती हैं। जिनका संबंध कृषि क्षेत्र की वास्तविकता से नहीं होता। कोरे सिद्धांत पर आधारित सहकारी बैंकिंग की नीतियों के चलते कृषि आज भी नई परम्पराओं को स्वीकार नहीं कर पाती। देश के कुछ क्षेत्रों को अगर छोड़ दे तो कृषि फर्म और कृषक का नाम आते ही एक विचित्र पीड़ा का बोध होता है। भारत का किसान आज भी दो जून की रोटी के लिए मोहताज है उर्वरताविहीन खेत, लगातार घटते कृषि संसाधन, पढ़े लिखे विकासशील लोगों का कृषि से दूर हटना भौतिक संसाधनों की बढ़ती कीमतें समय अनुकूल बीज खाद एवं अन्य सहायक वस्तुएँ कृषि यंत्रों की भारी कीमतें उत्पादन विक्रय की साख नीति का आभाव आदि के चलते रीवा जिले की कृषि अभी भी अधोगामी है।

विगत वर्षों में ग्रामीण विकास के उन्नयन के लिए जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा उठाए गये प्रभावी कदमों में सबसे महत्वपूर्ण जिले के विभिन्न क्षेत्रों में कृषि बैंकों, जिनके माध्यम से कृषिकों कृषि उत्पादों का समर्थन मूल्य मिलने की गारंटी दी गई है।

प्रस्तुत अध्ययन जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक का वित्तीय प्रबंधन एवं रीवा जिले के आर्थिक विकास में योगदान पर केन्द्रित है। जिसके पृष्ठभूमि में मूलतः अध्ययन में इन विभिन्न कारणों का भी संकेतिक विवरण प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था में सहकारी बैंकों की सहभागिता को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत शोध अध्ययन के महत्व का प्रतिपादन किया जा सकता है।[15,16,17]



अध्ययन के दौरान विभिन्न प्रकार की कठिनाईयाँ जिनका संबंध विषय सामग्री के चयन से रहा है। आपेक्षित समांकों संकलन न होने से विषय वस्तु में गहराई में जाना, सत्यता की परख करना एक जटिल समस्या रही। अध्ययन केन्द्र सम्पूर्ण रीवा राजस्व क्षेत्र हो ने के कारण भी हर जगह का प्रतिनिधित्व स्वाभाविक रूप से सम्भव नहीं हो सका है। जिले में छोटे-छोटे/ग्राहकों/प्रतिनिधियों के होने के कारण आपेक्षित मात्रा में सही परिणाम नहीं हो पाता जब कृषिको/उपभोक्ताओं के पास मात्र भरण पोषण के लिए कृषि उत्पाद होता है ऐसे में ग्रामीण आर्थिक विकास की परिकल्पना करना हास्यास्पद सा है अध्ययन के दौरान देखा गया कि रीवा राजस्व क्षेत्र के 70 प्रतिशत व्यापारियों का संबंध बैंकों से नहीं बल्कि छोटे साहूकारों से है कृषि ऋण के कारण कृषि ऋण का समय से भुगतान न करने के कारण कृषक मूलतः कृषि नीतियों से अनजान बने रहते हैं और स्वाभाविक रूप से अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने में कतराते हैं। राजस्व क्षेत्र के बैंक अधिकारी कर्मचारियों के संबंध कृषकों से किसी भी प्रकार से नहीं दिखते कर्मचारियों का संबंध कागजों की खाना पूर्ति से है। जिस कारण कोरे समंकों पर आधारित अध्ययन क्षेत्र की कृषि ऋण की दशा है ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है अध्ययन के दौरान विभिन्न प्रकार की विसंगतियों का सामना करना स्वाभाविक सा रहा।

अग्रिम वित्त प्रबंधन:-

ऋण वितरण के लिए राज्य विकास बैंक द्वारा :निश्चित सीमाद्ध अग्रिम वित्त सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। जिसके लिए स्वीकृत सीमा निर्धारित की जाती है, और बैंक उस निर्धारित सीमा पर निश्चित तिथि तक वित्त प्राप्त करता है और उसके प्रस्तावित दस्तावेज राज्य विकास बैंक को भेजता है जिनकी स्वीकृति पश्चात प्रतिपूर्ति के रूप में शीर्ष बैंक से उधार ऋण दिया जाता है इस उधार ऋण से अग्रिम वित्त समायोजित होता है। विभिन्न वर्षों में बैंक द्वारा अग्रिम वित्त प्रबंध हेतु उपलब्ध वित्त निम्न सारणी के द्वारा स्पष्ट है :-

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक रीवा को ऋण वितरण के लिए राशि की व्यवस्था हेतु शीर्ष बैंक शाखा रीवा से 2011-12 रू. 30,00,000 की अग्रिम वित्त एक तिथि में स्वीकृति थी जिसके प्रति विभिन्न तिथियों में ऋण वितरण के लिए खाते से 2,17,00,000 रू. आहरित किये गए तथा ऋण वितरण पश्चात सम्पूर्ण राशि के विलेख शीर्ष बैंक शाखा रीवा को प्रेषित किया जा कर अग्रिम वित्त खाते में 2,17,00,00 रू. समायोजित कराये गए तथा वर्षान्तर पर खाता निरंक रहा। इस प्रकार बैंक द्वारा वर्ष में नियमानुसार राशि आहरित एवं उपयोग की गई।

शीर्ष बैंक से उधार ऋण:-

जिला विकास बैंक के द्वारा वितरित किये जाने वाले ऋण के लिए 100 प्रतिशत वित्त मध्य प्रदेश राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के द्वारा प्रतिपूर्ति के रूप में ऋण वितरण के पश्चात उपलब्ध कराया जाता है। जो सारणी क्रमांक 19 से स्पष्ट है।

ब्याज प्राप्त किया/करना:-

जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा कृषकों को वितरित किये जाने वाले ऋण पर नाबार्ड/शीर्ष बैंक द्वारा निर्धारित दर पर वार्षिक/अर्द्धवार्षिक/मासिक ;उद्देश्यानुसारद्ध ब्याज की गणना कर ब्याज प्राप्त की जाती है यह सारणी द्वारा स्पष्ट है।[18,19]

अंशों पर लाभांश -

जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अपने ऋणी सदस्यों से ऋण राशि का 5 प्रतिशत अंश राशि प्राप्त करता है तथा प्रतिपूर्ति का 3 प्रतिशत शीर्ष बैंक में ;राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकद्ध विनियोजित करता है, शीर्ष बैंक के प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अंश के प्रति लाभांश घोषित करता है। इस प्रकार शीर्ष बैंक में विनियोजित अंश राशि के प्रति घोषित लाभांश जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक को प्राप्त होता है। जो लांभश विगत पाँच वर्षों में प्राप्त किया गया है सारणी क्रमांक 17 से स्पष्ट है



विनियोजन पर आय:-

जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक वित्तीय तरलता बनाये रखने के लिये क्षेत्र के सदस्यों से एफ.डी.आर. तथा रेकरिंग डिपॉजिट ;आर.डी.डब्ल्यू प्राप्त करता है तथा दूसरे बैंकों की तुलना में आकर्षक ब्याज सदस्यों को देता है, इस प्रकार एकत्रित की गई राशि का 85 प्रतिशत भाग शीर्ष बैंक में विनियोजित करने का प्रावधान है। इस प्रकार शीर्ष बैंक में विनियोजित की गई राशि पर निर्धारित दर पर ब्याज प्राप्त करता है। बैंक द्वारा विगत पांच वर्षों में विनियोजन पर जो आय प्राप्त की गई है सारणी क्रमांक- 22 में स्पष्ट है।

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि 2011-12 में 204100.00 रू. 2012-13 में 134684.00 रू. विनियोजन पर आय प्राप्त हुई तथा 2013-14 में 342582.00 रू. 2014-15 में 366843.00 रू. तथा 2015-16 में 412832.00 रू. विनियोजन पर आय के रूप में प्राप्त हुए हैं।

कर्मचारियों से अग्रिम पर ब्याज:-

जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक अपने कर्मचारियों को वेतन अग्रिम, वाहन ऋण, आवास ऋण उपलब्ध कराता है तथा इस ऋण पर निर्धारित की गई दर पर से ब्याज चसूल किया जाता है। बैंक द्वारा विगत पांच वर्षों में अग्रिम पर जो ब्याज प्राप्त किया गया है निम्न सारणी से स्पष्ट है।

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि 2011-12 में 28175 रू., 2012-13 में 60638 रू., 2013-14 में 51376.00 रू. 2014-15 में 59110.00 तथा 2015-16 में 10361.00 रू. प्राप्त किया गया है।

ऋण आवेदन फार्म से आय:-

जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक सदस्यों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए पंजीयक द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्रा बनवाकर निश्चित की गई दर पर जो वर्तमान में 100 रू. है मे उपलब्ध कराये जाते है विगत पांच वर्षों में ऋण आवेदन पत्रा के द्वारा जो आय प्राप्त हुई है सारणी क्रमांक 24 में स्पष्ट है-

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है 2011-12 में 6903.00 रू. 2012-13 में 8076.00 रू. 2013-14 में 12945.00 रू. 2014-15 में 23876.00 रू. तथा 2015-16 में 16600 रू. प्राप्त हुए है।

भूमि भार शुल्क से आय:-

जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा सदस्यों को ऋण उपलब्ध कराने के पूर्व बन्धक रखी जाने वाली भूमि का भार जांच करता है, जिसकी निर्धारित शुल्क आय के रूप में प्राप्त होती है। विगत पांच वर्षों में भूमि भार शुल्क के रूप में जो आय प्राप्त किया है निम्न सारणी से स्पष्ट है।



वसूली एवं नीलामी से आय:-

जिला सकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा अपने सदस्यों से कालातीत ऋण की वसूली हेतु सूचनाएं प्रेषित की जाती है। जिनका निर्धारित दर पर खर्च वसूल किया जाता है। बैंक द्वारा विगत पांच वर्षों में वसूली एवं नीलामी आय के रूप में जो आय प्राप्त किया गया है सारणी क्रमांक 26 में स्पष्ट है।

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि 2011-12 में 4707080.00 रू. 2012-13 में 65430.00 रू. 2013-14 में 117735.00 रू. 2014-15 में 29874 रू. तथा 2015-16 में 14000 रू. प्राप्त किया गया है।

कृषि विपणन तकनीकी में सुधार, कृषि उत्पादन में वृद्धि, मध्यस्थों की समाप्ति, कृषि विनिमय हेतु वित्तीय सुविधाएँ, कृषि उत्पाद मूल्य में वृद्धि तथा कृषि विपणन का व्यावसायिक कार्य, व्यवसायिक अनुभव, पूँजी निवेश, छोटे कृषि व्यापारियों को संरक्षण कृषि के लिए वित्तीय सुविधाएँ, व्यावसायिक प्रशिक्षण, यातायात का विकास, भण्डारण प्रक्रिया में सुधार, व्यावसायिक स्थिति का मूल्यांकन, मूल्य में स्थिरता जैसे अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। कृषि विपणन में जमाखोरी की समाप्ति, कृषि क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र मानने के साथ-

साथ गांवों में कृषि उत्पाद के विक्रय हेतु आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करने का प्रयास होगा। कृषि विपणन क्षेत्र में सहाकारी समितियों के विकास हेतु कृषि विपणन क्षेत्र में सहाकारी समितियों के विकास हेतु सरकारी एजेन्सी द्वारा कम मात्रा का पूर्व निर्धारण उत्पादक व व्यापारियों से कृषि आय में वृद्धि जैसे उपायों को अपनाने से कृषि विपणन तथा कृषि उपज में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। कृषि उपकरणों वित्तीय सुविधाओं में वृद्धि के साथ ही अन्य आवश्यक मूलभूत सुविधाओं में विकास हेतु उपाय किये जायेंगे। सहाकारी विपणन व्यवस्था को प्रोत्साहन दिया जाएगा उत्पादको को उचित मूल्य दिलाए जाने के साथ ही पूँजीवादी बाजार को रोकने का प्रयास किए जाएगा, साथ ही कृषि विपणन व्यवसाय का विस्तार किया जाएगा, विस्तार के साथ ही देश वे अन्य विकसित राज्यों की कृषि विपणन के समान किया जाएगा।[18,19,20]

निष्कर्ष

सहाकारी बैंक (को-ऑपरेटिव बैंक) व्यक्तियों के ऐसे संगठन, जो समानता, स्वयं सहायता व प्रजातान्त्रिक आधार पर सभी के हित के लिए बैंकिंग सम्बन्धी सभी कार्य करते हैं, सहाकारी बैंक कहलाते हैं। सहाकारी बैंक, सहाकारी समितियों का एक संगठन होता है। इन बैंकों की स्थापना सन् 1904 में सहाकारी साख अधिनियम के पारित होने के बाद हुई। हेनरी वोल्फ के अनुसार, “सहाकारी बैंकिंग एक ऐसी एजेन्सी है, जो छोटे वर्ग के व्यक्तियों से व्यवहार करने की स्थिति में है तथा जो अपनी शर्तों के अनुसार उनकी जमाओं को स्वीकार करती है व ऋण प्रदान करती है। सहाकारी बैंक कृषकों को वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन उधार देते हैं। सहाकारी बैंक कृषकों को बीज व खाद खरीदने, मजदूरी का भगतान करने, भूमि में सधार करवाने, कृषि उपकरणों को खरीदने के लिए किसानों को ऋण देते हैं। सहाकारी बैंक किसानों को सस्ती ब्याज दर एवं सरल शर्तों पर ऋण प्रदान करते हैं। भारत में सहाकारी बैंक का ढाँचा त्रि-स्तरीय है।[21,22] सहाकारी बैंक निम्नलिखित प्रकार के होते हैं • जिला स्तर पर केन्द्रीय सहाकारी बैंक इनके द्वारा प्राथमिक साख समितियों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूर्ण किया जाता है। • राज्य स्तर पर शीर्ष बैंक ये बैंक राज्य में सहाकारी आन्दोलन के विकास हेतु उत्तरदायी होते हैं। सहाकारी बैंकों के गुण भारत में सहाकारी बैंकों को महत्त्व व गुण या भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सहाकारी बैंकों की भूमिका सहाकारी बैंक देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के प्रमुख कर्णधार हैं। इन बैंकों की व्यवस्था से समाज की आर्थिक स्थिति उन्नत हुई। है व कृषि क्षेत्र में अनेक लाभ हुए हैं। इसके प्रमुख लाभों या महत्त्व को निम्नलिखित बिन्दुओं से स्पष्ट कर सकते हैं • कृषि कार्यों के लिए ऋण सहाकारी बैंक किसानों को खाद, बीज, कृषि यन्त्रों, आदि के लिए सस्ती ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध करवाते हैं। • कुटीर उद्योगों का विकास सहाकारी बैंकों द्वारा कुटीर उद्योगों को सहायता प्रदान किए जाने से इनका विकास हुआ है। • ग्रामीणों के रोजगार में वृद्धि सहाकारी बैंकों द्वारा ऋण देने से कृषि कार्यों का विकास होता है, जिससे ग्रामीण जनता को अधिक रोजगार प्राप्त होता है। • महाजनों के प्रभाव में कमी कृषि विकास बैंकों की स्थापना के बाद से यह बैंक किसानों को आवश्यकतानुसार ऋण प्रदान करते रहते हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में साहूकारों का प्रभाव कम हुआ है। • कृषि उपज के विपणन में सहायता इन बैंकों के द्वारा कृषि विपणन समितियों की स्थापना से किसानों को फसल का उचित दाम मिल जाता है। • सामाजिक गुणों का विकास इन बैंकों व समितियों के सक्रिय रूप से कार्य करने के कारण लोगों में सहयोग, मित्रता, आदि सामाजिक गुणों का विकास होता है। • सहयोग की भावना में वृद्धि सहाकारी बैंकों से जनता में परस्पर सहयोग की भावना में वृद्धि हुई है। • बचत की आदत का विकास ये समितियाँ प्रजातान्त्रिक सिद्धान्त पर कार्य करती हैं। इससे किसानों में बैंक के प्रयोग व




उनमें बचत करने की आदत को प्रोत्साहन मिलता है। सहकारी बैंकों के दोष सहकारी बैंकों के प्रमुख दोष निम्नलिखित हैं-

- सरकार को अधिक नियन्त्रण इन बैंकों पर सरकार का अधिक नियन्त्रण रहता है, इसलिए जनता इन्हें अपना सहायक न मानकर सरकारी संस्थाएँ मानती है।
- अकुशल संचालक ग्रामीण क्षेत्रों की समितियों के संचालक बैंकों का प्रबन्ध सुव्यवस्थित प्रकार से नहीं कर पाते हैं।
- पूँजी की कमी भारतीय सहकारी बैंकों के पास पूँजी का अभाव पाया जाता है, इसलिए ये बैंक कुशलता से कार्य करने में असमर्थ होते हैं।
- ऋण वसूल करने में देरी सहकारी बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों की राशि समय पर वसूल नहीं हो पाती है। इससे उनकी कार्यप्रणाली प्रभावित होती है।
- अधिक ब्याज दर इन बैंकों के पास पर्याप्त मात्रा में नकद कोष नहीं होता है, इसलिए ये समितियाँ दूसरों के ऋण पर निर्भर रहती हैं। अतः इनके ब्याज की दर अन्य संस्थाओं से अधिक होती है।
- सहकारिता के सिद्धान्तों का ज्ञान न होना भारतीय ग्रामीण जनता व इन समितियों के कर्मचारियों को सहकारिता के सिद्धान्तों का ज्ञान नहीं होता है। इससे ये संस्थाएँ सफल नहीं हो पाती .[19,20,21,22]

प्रतिक्रिया दें संदर्भ

1. Figures at close of institution's 2007 financial year, from organization's annual report. If no US\$ equivalent given in annual report, exchange rate of December 31, 2007, used.
2. ↑ "De geschiedenis van Crelan". crelan.be. मूल से 13 अप्रैल 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 27 नवंबर 2020.
3. ↑ Banks, BVR, Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken, National Association of German Cooperative. "Presse – Zahlen, Daten, Fakten – BVR – Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken". bvr.de.
4. ↑ "संग्रहीत प्रति" (PDF). मूल (PDF) से 23 नवंबर 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 27 नवंबर 2020.
5. ↑ Desjardins Group figures — Information as at December 31, 2008. Available at http://www.desjardins.com/en/a_propos/qui-nous-sommes/chiffres.jsp
6. ↑ "संग्रहीत प्रति". मूल से 16 अगस्त 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 27 नवंबर 2020.
7. ↑ "Key figures". Unico Banking Institute. 2006. मूल से 4 दिसंबर 2020 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 27 नवंबर 2020.
8. ↑ "संग्रहीत प्रति". मूल से 4 दिसंबर 2020 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 27 नवंबर 2020.
9. ↑ GBP 25.1 million
10. अग्रवाल एन.एल., भारतीय कृषि का अर्थतंत्र, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी,
11. अग्रवाल, एन.एल. कृषि अर्थशास्त्र राजस्थान हिन्दी गं्रन्थ अकादमी जयपुर
12. भारती एवं पाण्डेय भारतीय अर्थव्यवस्था मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी
13. चैहान, शिवध्यान सिंह भारतीय व्यापार साहित्य भवन प्रकाशन, आगरा
14. चतुर्वेदी टी.एन. तुलनात्मक आर्थिक पद्धतियाँ राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी जयपुर
15. जैन, एस.जी. विपणन के सिद्धान्त साहित्य भवन आगरा
16. जैन, पी.सी. एवं जैन टेण्डका विपणन प्रबंध नेशनल पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली
17. खंडेला मानचन्द्र, उदारीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था साहित्य भवन प्रकाशन आगरा
18. मदादा एवं बोरवाल विपणन के सिद्धान्त रमेश बुक डिपो जयपुर
19. श्रीवास्तव, पी.के. विपणन के सिद्धान्त नेशनल पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली
20. सिंघई जी.सी. एवं मिश्रा, जी.पी. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वित्त साहित्य भवन आगरा
21. त्रिवेदी, इन्द्रवर्धन एवं जटाना, रेणु विदेशी व्यापार एवं विनिमय राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर।
22. वान हेबलर, गाट फ्रायड, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धान्त उ.प्र. हिन्दी सस्थान



INNO  **SPACE**
SJIF Scientific Journal Impact Factor

Impact Factor:
7.122

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INDIA



International Journal of Advanced Research

in Electrical, Electronics and Instrumentation Engineering

 **9940 572 462**  **6381 907 438**  **ijareeie@gmail.com**



www.ijareeie.com

Scan to save the contact details